HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 345/2026

Hemant Mittal S/o Shri Mahesh Kumar Mittal, R/o Shyam Colony, Shahpura, District Jaipur, At Present R/o House No. E-268 Bank Colony, Murlipura, Jaipur, Employee M/s Shree Ganpati Tubewell Company. (Presently Lodged at Central Jail, Jaipur).

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 344/2026

Mahesh Kumar Mittal S/o Shri Musaddilal Mittal, R/o Mittal Bhawan, Shyam Colony, Shahpura, Jaipur, At Present R/o House No. E-268 Bank Colony, Murlipura, Jaipur, Proprietor M/s Shree Ganpati Tubewell Company. (Presently Lodged at Central Jail, Jaipur).

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 695/2026

Peyush Jain S/o Padamchand Jain, R/o Plot No. 9, Kanti Nagar Hathi Babu Ka Bagh, Hotel Jinendra Palace, Opposite Polovictory, Station Road, Jaipur Employee M/s Shyam Tubewell Company Presently Confined in Central Jail, Jaipur.

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 694/2026

Gopal Lal Kumawat S/o Devi Lal, R/o Plot No. 62, Brij Mandal Colony, Kalwar Road, Jhotwara Jaipur. Formar, Accounts Officer, Office Of The Financial Advisor And Chief Accounts Officer,

Rajasthan Water Supply And Sewerage Management Board, Jaipur. (At Present Confined in Central Jail, Jaipur).

----Petitioner

Versus

The State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 696/2026

Umesh Kumar Sharma S/o Late Gopal Lal Sharma, R/o 501, Metro Police Tower, Purani Chungi, Ajmer Road, Jaipur Employee M/s Shyam Tubewell Company. Presently Confined in Central Jail, Jaipur.

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Sudhir Jain, Adv. Mr. Brahmanand Sandu, Adv. Mr. Abhimanyu Singh Sandu, Adv. Ms. Vandana Aoudichya, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Rajesh Choudhary, GA cum AAG with Mr. Aman Agrawal, AAAG & Mr. Manvendra Singh, PP Mr. Mahaveer Sharma, (RPS) Addl. SP, ACB

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

1.	**Arguments Concluded On:**	**23/02/2026**
2.	**Order Reserved On:**	**23/02/2026**
3.	**Full Order/Operative Part Pronounced:**	**Full Order**
4.	**Pronounced On:**	**26/02/2026**

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु पृथक–पृथक जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा

संहिता (439 दं.प्र.सं.), पुलिस थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 215/2023 अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7क व 8 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम, 2018 एवं धारा 120बी भारतीय दण्ड संहिता में पेश किये गये हैं।

चूंकि उक्त सभी जमानत आवेदन एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित हैं, अतः उक्त जमानत आवेदनों का निस्तारण एक साथ एक ही आदेश के माध्यम से किया जा रहा है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उन्हें मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार फर्म श्री श्याम ट्यूबवैल कंपनी के ठेकेदार पदम चंद व फर्म श्री गणपति ट्यूबवैल कंपनी के ठेकेदार/मालिक महेश मित्तल द्वारा जल जीवन मिशन योजना के तहत पानी की पाईपलाईन डालने, ट्यूबवैल निर्माण व पानी की टंकी निर्माण आदि के ठेके लेने का काम किया जाता था। मलकेत सिंह पदम चंद जैन का ड्राईवर था, जो साईट पर काम देखता था। इस प्रकरण में पदम चंद की बोलेरो कार में संदिग्ध 2,20,000/– रूपये की राशि मिली। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार पदम चंद जैन, माया लाल सैनी, प्रदीप कुमार, राकेश चौहान व मलकेत सिंह मुख्य आरोपी हैं, जिनके द्वारा रिश्वत की मांग किया जाना व रिश्वत प्राप्त किया जाना बताया है। इन समस्त मुख्य आरोपियों का जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 11266/2023 व अन्य समेकित प्रकरणों में पारित आदेश दिनांक 08.11.2023 के माध्यम से इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण उक्त दोनों फर्मों के कर्मचारी हैं, उन्होंने ना तो कथित रिश्वत राशि के संबंध में कोई वार्ता की है, ना कोई कार्य किया है। उनका प्रथम सूचना रिपोर्ट में नाम भी नही है। फर्म श्री गणपति ट्यूबवैल कंपनी व

श्री श्याम ट्यूबवैल कंपनी के विरुद्ध जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित होकर सिविल न्यायालय में वाद भी प्रस्तुत किये गये हैं। पक्षकारों के मध्य विवाद सिविल प्रकृति के हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को उनके मोबाईल फोन अन्तावरोध पर लिये जाने की सूचना के आधार पर गलत रूप से अंतर्वलित किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के करीब दो वर्ष पश्चात उन्हें प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त महेश कुमार मित्तल के विरुद्ध दर्ज अन्य प्रकरणों के आक्षेप इस प्रकरण में वर्णित आक्षेप से भिन्न हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विनिश्चय Prabhakar Tewari Vs. The State of Uttar Pradesh; AIRONLINE 2020 SC 96 में अभिनिर्धारित सिद्धांत के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अन्य प्रकरण लंबित होने के आधार पर उसका जमानत प्रार्थना पत्र खारिज नही किया जा सकता है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 18.12.2025 से अभिरक्षा में चल रहे हैं, उनके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उन्हें जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण मैसर्स श्री श्याम ट्यूबवैल कंपनी व मैसर्स श्री गणपति ट्यूबवैल कंपनी के कर्मचारी हैं। उन्होंने अपनी फर्म के मालिक से जो वार्तालाप किये, उससे यह तथ्य सामने आये हैं कि रिश्वत की राशि मांगने और प्राप्त करने के संबंध में उनकी भूमिका भी रही है। यह सही है कि मुख्य अभियुक्तगण की जमानत समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार की जा चुकी है, लेकिन प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जावें।

मैंने उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पीयूष जैन व उमेश कुमार शर्मा मैसर्स श्री श्याम ट्यूबवैल कंपनी के व प्रार्थीगण/अभियुक्तगण महेश कुमार मित्तल व हेमन्त मित्तल मैसर्स श्री गणपति ट्यूबवैल कंपनी के कर्मचारी होना बताया गया है। उक्त प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को मुख्य अभियुक्तगण की अन्तावरोध वार्ता व अन्य वार्ताओं के आधार पर आरोपित अपराध कारित किये जाने में अंतर्वलित किया गया है। इस प्रकरण में महिन्द्रा बोलेरा कार, जिसमें माया लाल सैनी, मलकेत सिंह, प्रदीप कुमार, राकेश चौहान और राधेश्याम बैठे थे, उनके कब्जे से उक्त कार में से 500—500 के कुल 440 नोट 2,20,000/— रूपये बरामद हुए हैं। अभियुक्तगण मलकेत सिंह, प्रदीप कुमार, राकेश व माया लाल सैनी, जिनके कब्जे से उक्त 2,20,000/— रूपये की राशि बरामद हुई है तथा अन्य मुख्य अभियुक्तगण प्रवीण कुमार व पदम चंद जैन की जमानत एकलपीठ आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 11266/2023 व अन्य समेकित प्रकरणों में पारित आदेश दिनांक 08.11.2023 के माध्यम से इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित कृत्य उक्त सहअभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध से गंभीर नही माने जा सकते हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 18.12.2025 से अभिरक्षा में है, उनके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण—दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. हेमन्त मित्तल पुत्र महेश कुमार मित्तल 2. महेश कुमार मित्तल पुत्र मुसद्धीलाल मित्तल 3. पीयूष जैन पुत्र पदमचंद जैन 4. गोपाल लाल कुमावत पुत्र देवी लाल 5. उमेश कुमार शर्मा पुत्र स्व. गोपाल लाल शर्मा** की ओर से प्रस्तुत उक्त जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाते हैं तथा आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु प्रत्येक एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र तथा पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावें तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उन्हें हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

MANISH SAINI /Res.